P.O. साहब दौरा कार्य में ... है
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/9/23
को पेश हो।

15/9/23 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. I P.O.
सा. दौरे पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 16/11/23 को पेश हो।

16/11/23 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. I
P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त
होने से पत्रावली पूर्वादेशानुसार
दिनांक 22/12/23 को पेश हो।

22.12.2023 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 26/12/23

26.12.2023 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनों का दौहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम भगोठ पटवार हल्का भगेगा तहसील नीमकाथाना के भूमि ख.न. 486 जिसके नये ख.न. 846, 847, 848, 849, 850, 851 किता 6 रकबा 18.12 है. की खातेदारी जमाबन्दी सम्वंत 2049 से 2052 में प्रार्थी के दादा खम्माराम पुत्र बालूराम के नाम हिस्सानुसार रिकार्ड में दर्ज थी। खम्माराम पुत्र बालूराम की मृत्यु होने पर विरासत के ना०का० सं. 700 दिनांक 5.9.2001 के द्वारा प्रार्थी के पिता भागीरथ पुत्र खम्माराम एवं अन्य वारिसान के नाम अमल दरामद किया गया जिसका जमाबन्दी सम्वंत 2057 से 2060 में अंकन दर्ज है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 12.05.2001 को हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र व कुर्सीनामा में प्रार्थी के पिता का नाम भागीरथ पुत्र खम्माराम दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से जमाबन्दी सम्वंत 2070 से 2073 में प्रार्थी के पिता का नाम भागीरथ पुत्र खम्माराम दर्ज होने की बजाय सहवन से भागीरथ पुत्र प्रहलाद दर्ज हो गया। प्रहलाद प्रार्थी का चाचा है। प्रस्तुत रिकार्ड से मेरा प्रार्थना पत्र साबित होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं प्रार्थी के पिता का नाम भागीरथ पुत्र प्रहलाद के स्थान पर भागीरथ पुत्र खम्माराम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जावें।

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी

बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वंत 2049–2052, 2057–2060, 2070–2073, 2075–2078, ग्राम भगोठ मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से पाया गया कि पुराने भूमि ख.न. 486 रकबा 18.12 है. के 1/2 हिस्से की खातेदारी खम्माराम पुत्र बालूराम के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। खातेदार खम्माराम पुत्र बालूराम के फौत होने पर विरासत के ना0क0 संख्या 700 दिनांक 05.09.2001 द्वारा खम्माराम के बजाय उनके वारिसान मु. सुरजीदेवी बेवा खम्माराम, भागीरथ, शंकर, रामोतार, जगदीश, प्रहलाद पि. खम्माराम के नाम दर्ज हुई है जिसका इन्द्राज जमाबन्दी सम्वंत 2057– 2060 में दर्ज है। इसके बाद बनी जमाबन्दी चौसाला सम्वंत 2070–2073 में पुराने खसरा नम्बर 486 रकबा 18.12 है. के नये ख0न0 846, 847, 848, 849, 850, 851 किता 6 रकबा 18.12 है. दर्ज हुये है जो मिलान क्षेत्रफल से भी स्पष्ट हैं। परन्तु खातेदार भागीरथ पुत्र खम्माराम के स्थान पर भागीरथ पुत्र प्रहलाद दर्ज हुआ है जो वर्तमान जमाबन्दी सम्वंत 2075–2078 में भी दर्ज है। इससे जाहिर है कि खातेदार भागीरथ पुत्र खम्माराम के स्थान पर भागीरथ पुत्र प्रहलाद सहवन से दर्ज हुआ है।जो काबिले दुरूस्ती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 रा.भू–राजस्व अधिनियम साबित होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि ग्राम भगोट पटवारी हल्का भगेगा तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 147 में दर्ज खातेदार **भागीरथ पुत्र प्रहलाद के स्थान पर भागीरथ पुत्र खम्माराम** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। तदनुसार पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Scanned with OKEN Scanner